"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 2009—चैत्र 25, शक 1931

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2009

अधिसूचना

क्रमांक 30/बीमा/3/2009/1970.—राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार "निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु अथवा घायल होने पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009" से प्रभावशील माना जावेगा. उक्त नियम 23 मार्च, 2009 से लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, पदेन संयुक्त सचिव.

अधिसूचना

शासन ने विनिश्चय किया है कि संसदीय चुनाव 2009 एवं विधान सभा/संसदीय सामान्य निर्वाचन तथा समय-समय पर होने वाले विधान सभा के उप चुनाव तथा संसदीय उप चुनाव के दौरान वे अधिकारी/कर्मचारी जो निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत या घायल हो गये हैं उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को यथास्थिति अनुग्रह प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**— (एक) ये नियम निर्वाचन कर्तव्य के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु अथवा घायल होने पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम-2009 कहलाएंगे।

(दो) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(तीन) ये नियम दिनांक 23.03.2009 से प्रभावशील माने जाएंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मृत्यु" से अभिप्रेत है, इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि में निर्वाचन कर्तव्य के दौरान या निर्वाचन कर्तव्य अवधि के कारण हुई मृत्यु;

(ख) "स्थाई अपंगता" से अभिप्रेत है, श्रवणशक्ति की क्षीणता या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (क्र. 8 सन् 1923) तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्र. 1 सन् 1996) में यथा परिभाषित स्थायी अपंगता;

(ग) "आंशिक अपंगता" से अभिप्रेत है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 (क्र. 8 सन् 1923) तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 (क्र.1 सन् 1996) में यथा समनुदेशित आंशिक अपंगता;

(घ) "अधिकारी/कर्मचारी" से अभिप्रेत है, वह अधिकारी/कर्मचारी जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके अनुमोदन से कर्तव्य में नियोजित किये गये हों। यदि निर्वाचन कर्तव्य में अशासकीय व्यक्ति नियोजित किये गये हों तो वे भी अनुग्रह क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु पात्र होंगे । सुरक्षा कार्य हेतु नियुक्त केन्द्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल भी इन नियमों के प्रयोजन हेतु कर्मचारी माने जायेंगे। संबंधित माईक्रो ऑब्जर्वर (सूक्ष्म प्रेक्षक) को भी इन नियमों के प्रयोजन हेतु कर्मचारी माना जाएगा।

3. अनुग्रह प्रतिकर की पात्रता.— व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से निर्वाचन कार्य में नियोजित हैं, जिसमें प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, उस दौरान मृत्यु या चोट कारित होने पर अनुग्रह प्रतिकर भुगतान का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण :— निर्वाचन कर्तव्य से अभिप्रेत निवास/कार्यालय छोड़ने के समय से कर्तव्य पूरा कर निवास/कार्यालय वापस पहुंचने के समय से है।

4. अनुग्रह क्षतिपूर्ति की राशि.— **(क)** अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में 5 लाख (पाँच लाख रूपये) अनुग्रह प्रतिकर का भुगतान मृतक के परिवार के सदस्यों को किया जाएगा। यदि मृत्यु नक्सली हिंसा या इसी प्रकृति की हिंसा में होती है तो प्रतिकर राशि 10 लाख (दस लाख रूपये) मृतक के परिवार के सदस्यों को भुगतान की जाएगी।

(ख) यदि अधिकारियों/कर्मचारियों की किसी दुर्घटना के कारण स्थाई अपंगता कारित होती है तो 3 लाख (तीन लाख रूपये) अनुग्रह प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाएगा। यदि स्थाई अपंगता नक्सली हिंसा या इसी प्रकृति की घटना के कारण होती है तो अधिकारियों/कर्मचारियों को 6 लाख (छः लाख रूपये) की राशि का भुगतान किया जावेगा।

(ग) **अस्थाई अपंगता** :– यदि निर्वाचन कर्तव्य के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थाई अपंगता कारित होती है तो अनुग्रह प्रतिकर की राशि के रूप में 1 लाख (एक लाख रूपये) का भुगतान किया जाएगा। यदि ऐसी आंशिक अपंगता नक्सली हिंसा या इसी प्रकृति की घटना के कारण होती है तो अनुग्रह प्रतिकर के रूप में 2 लाख (दो लाख रूपये) का भुगतान किया जावेगा।

5. **आवेदन/ दावा फाईल करने की प्रकिया** :– अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी आवेदन/दावा इन नियमों में संलग्न प्रारूप के परिशिष्ट–1 तथा परिशिष्ट–2 को भरकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

6. **दावे का निराकरण**.– अधिकारियों/कर्मचारियों या उनके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन/दावा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस पर रिपोर्ट तैयार कर अपनी अनुशंसाओं सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवेदन/दावा पेश करने के 7 दिनों के भीतर प्रेषित करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दावा/आवेदन का निराकरण जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर करेगा तथा भुगतान हेतु अधिनिर्णय पारित करेगा तथा जिला निर्वाचन अधिकारी/कलेक्टर आदेश प्राप्त होने पर अविलंब प्रतिकर का भुगतान करेगा।

7. **परीक्षण किये जाने वाले दस्तावेज तथा भुगतान की पद्धति**.– **(क)** जिला निर्वाचन अधिकारी/कलेक्टर से प्राप्त अनुशंसा;

(ख) मृतक की सेवा पुस्तिका में अंकित नामिनेशन फार्म की सत्यापित छाया प्रति;

(ग) निकटतम पुलिस थाना में दाखिल प्रथम सूचना प्रतिवेदन;

(घ) डाक्टरी मुलाहिजा प्रतिवेदन अथवा पोस्टमार्टम प्रतिवेदन;

(ड) वैध उत्तराधिकारी की पासपोर्ट साईज अभिप्रमाणित फोटो;

(च) अधिकारी/कर्मचारी या मृतक के नाम से जारी निर्वाचन कर्तव्य की प्रति;

(छ) अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु की दशा में यदि उसकी पत्नी जीवित न हो तो राशि उनके बच्चों के खाते में, यदि वे अवयस्क हों, तो उनके संरक्षक के माध्यम से जमा की जा सकेगी;

(ज) मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

8. **चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अतिरिक्त प्रतिकर**.– (एक) स्थाई एवं आंशिक अपंगता का निर्धारण अभिलेख में उपलब्ध डाक्टरी मुलाहिजा के आधार पर किया जाएगा।

(दो) इन नियमों के अतंर्गत प्रदाय की गई अनुग्रह प्रतिकर किसी भी अन्य योजना या अधिनियम के अतंर्गत प्राप्त होने वाली प्रतिकर के भुगतान के अतिरिक्त होगी तथा उसके अल्पीकरण में नहीं।

9. **नियमों को संशोधित करने की शक्ति**.– राज्य शासन समय–समय पर आवश्यकतानुसार इन नियमों का संशोधन करने हेतु सशक्त होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड–मंत्रालय परिसर,
रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट – एक
नियम – 3

दावा प्ररूप

दुर्घटना होने पर यह प्ररूप पूर्ण चिकित्सीय प्रतिवेदन के साथ कलेक्टर एवं संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, इसके बिना कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

दावा क्र.	प्रस्तुति दिनांक
1. पूरा नाम. .... मृतक की वर्तमान आयु .... निवास का पता .... कार्यालय का पता	
2 (क) दुर्घटना का दिन, तारीख व समय (ख) दुर्घटना का स्थान (ग) दुर्घटना का कारण व चोटों का विवरण	
3 (क) चिकित्सालय जहा इलाज हुआ, के नाम व पते	

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मृत्यु/अस्थाई/स्थाई अपंगता सत्य है तथा इस बात का सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं कि यदि मैं/मैंने कोई मिथ्या विवरण दिया है/दूंगा अथवा किसी तथ्य को दबाया या छिपाया है/दबाऊंगा /छिपाऊंगा तो मैं इस प्रकरण में अनुग्रह प्रतिकर के अधिकार से पूर्णतः वंचित हो जाऊंगा ।

मै रू. .... की राशि , जो मुझे राज्य शासन द्वारा यथाविनिश्चित निर्वाचन कर्मचारी अनुग्रह राशि के रूप में एतद्द्वारा स्वीकार है, मुझे अदा करने का दावा करता हूं ।

हस्ताक्षर

कर्मचारी अथवा
वैद्य उत्तराधिकारी का नाम

अनुशंसा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। अतः भुगतान राशि .... की एतद्द्वारा अनुशंसा की जाती है ।

हस्ताक्षर

कलेक्टर
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला ....

परिशिष्ट – दो

नियम – 4

चिकित्सीय प्रतिवेदन का प्रारूप

नोट :– यह प्रारूप दावेदार के चिकित्सक द्वारा विधिवत् व पूर्णतः भरा जाये ।

1. दावेदार का पूरा नाम .... आयु	
2. आपकी जानकारी के अनुसार दुर्घटना का कारण	
3 (क) चोट लगने के पश्चात् आपने दावेदार की पहले पहल कब चिकित्सा की ? (ख) क्या आप दावेदार का इलाज अब भी कर रहे हैं ?	
4 क्या आप दावेदार के व्यक्तिगत चिकित्सक हैं ? यदि हां तो आप उसे कब से जानते हैं तथा आपने उसके किस रोग का इलाज किया ?	
5 क्या इसकी चोट के लक्षण (अ) केवल दुर्घटना के फलस्वरूप है अथवा (ब) किसी बीमारी या अन्य कारण के फलस्वरूप है	(अ) (ब)
6. कोई अन्य टिप्पणी	

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त व्यक्ति पीड़ित या दुर्घटना का शिकार हुआ, तथा यह प्रतिवेदन सही है ।

हस्ताक्षर/–

चिकित्सक का नाम ....

पता ....

....

Raipur, the 15th April 2009

NOTIFICATION

No. . 30/Insurance/3/2009/1970.— State Government hereby issues the "Chhattisgarh State Ex-Gratia Compensation Payment for officials/employees died or injured during Electioneering Duty Rules, 2009" as per the Annexure enclosed herewith. These rules shall be deemed effective from 23rd March, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Ex-officio Joint Secretary.

NOTIFICATION

To compensate officials/employees during Parliamentary Election 2009 and Legislative Assembly/Parliamentary General Election and by-election of Legislative Assembly and Parliamentary being conducted from time to time Government has decided that official/employee those who died or suffered injuries during Electioneering duty will be paid Ex-Gratia Compensation to them or their family members as the case may be-.

RULE

1. **Short title, extent and commencement.-** (i) These Rules may be called the Chhattisgarh State Ex-Gratia Compensation Payment for officials/ employees died or injured during Electioneering Duty, Rules 2009;

(ii) It extends to whole the State of Chhattisgarh;

(iii) These rules, shall be deemed to have come into force with effect from 23.03.2009.

2. **Definitions.- In these rules unless the context otherwise requires,-**
(a) "Death" means the death which is occurred during electioneering duty or due to electioneering duty period as specified in these rules;

(b) "Permanent Disability" means the impairment of hearing or the permanent disability as defined under Workmen's Compensation Act, 1923 (No. 8 of 1923) and The persons with Disabilities(Equal Opportunities and Full participation) Act 1995 (No. 1 of 1996);

(c) "Partial Disablement" means the meaning as assigned to it under Workmen's Compensation Act, 1923 (No. 8 of 1923) and The Persons with Disabilities(Equal opportunities and Full participation) Act 1995 (No. 1 of 1996);

(d) "Officials/Employees" means the Officers/Employees those who are employed on duty by Chief Electoral Officer, District Election Officer or with their due approval. The Non-Government person if employed on election duty shall also be entitled for Ex-Gratia compensation payment. Central Police Force, State Police Force engaged for security purposes shall also be treated as employed for the purpose of this rule. Micro Observer related to Central Government Undertaking shall also be treated as officials under these rules.

3. **Entitlement for Ex-Gratia Compensation.-** Death or injury caused to a person during which who is engaged in election duty in any manner including training also shall be entitled for Ex-Gratia compensation payment.

Explanation: Election duty means the time of leaving residence/office up to the time of coming back to his Residence/office shall be treated as duty.

4. **Amount of Ex-Gratia Compensation.-** (a) In case of death of officers/employees Ex-Gratia compensation payment shall be of Rs. 5,00,000 (Five Lac) which will be paid to the family members of the deceased. The compensation amount shall be Rs. 10,00,000 (Ten Lac) if death is caused due to Naxalite violence or violence of similar nature and will be paid to the family members of the deceased.

(b) If permanent disability is caused due to any accident to the officers/employees engaged in election duty an amount of Rs. 3,00,000 (Three Lac) shall be paid as ex-gratia compensation payment. If permanent disability is caused due to Naxalite Violence or incident of similar nature an amount of Rs. 6,00,000 (Six Lac) shall be paid to the officer/employees as ex-gratia compensation payment.

(c) Temporary Disability- If partial disability is caused to the officers/employees during electioneering duty an amount of Rs. 1,00,000 (One Lac) shall be paid as ex-gratia compensation payment. If such partial disability is caused due to Naxalite Violence or incident of similar nature an amount of Rs. 2,00,000 (Two Lac) shall be paid as ex-gratia compensation payment.

5. **Procedure of filing the application/claim.-** The officers/employees or their legal heir may file the application/claim before the District Election Officer in the format appended as Annexure-1 and Annexure-2. to this rules.

6. **Disposal of claim.-** On an application/claim filed by Officers/employees or their legal heirs the District Election Officer shall prepare a report and submit it with his recommendation to the Chief Electoral Officer within 7 days of filing of the application/claim. The Chief Electoral Officer shall dispose the application/claim within 7 days of the receipt of the recommendation from the District Election Officer and pass the award for payment, and the District Election Officer/Collector on receiving the order shall make the payment of ex-gratia compensation immediately.

7. **Document to be seen and mode of payment.-** (a) Recommendation received from District Election Officer/Collector,

(b) Certified copy of nomination form recorded in the service book of the deceased,

(c) First information report lodged in the nearest police station,

(d) Medico legal report and post mortem report,

(e) Attested pass-port photograph of the legal heir,

(f) Copy of the election duty issued in the name of the officer/employees or deceased,

(g) In case of death of an officer/employee if the spouse is not alive the amount may be deposited in the account of the children if they are minor through their guardian.

(h) The decision of Chief Electoral Officer shall be final.

8. **Medical evidence and additional compensation.-** (i) Permanent and partial disability shall be decided on the basis of medical evidence available on the record.

(ii) Ex-gratia compensation payment under these rules shall be in addition to and not in derogation of any other payment of the compensation made under any other scheme or act.

9. **Power to amend rules.-** State Government is empowered to amend this rules as may be required from time to time.

CHIEF ELECTORAL OFFICER CHHATTISGARH
INDRAVATI KHAND - MANTALAYA PARISER
RAIPUR (C.G.)
PHONE NO. 0771-2236685 FAX 0771-2244476

APPENDIX - I

RULE - 3

CLAIM FORM

On the underpinning of Accident this form along with complete medical report should be submitted to collector and District Election officer concurred without its super............... no claim will be entertained.

Claim No.	**Date of Submission**
1. Name if Full **(A) Age of Deceased -** **(B) Residential Address -** **(C) Official Address -**	
2. (A) Day, Date and time of the Accident onward **(B) Place of Accident** **(C)Reasons of Accident and details of injuries**	
3. Name and Address of the Hospital where treated.	

I here by declare that Death/ Temporary/ Permanent disability is true and I solemnly affirms and give my confront that if I have submitted any false statement, suppressed the, any fait then I will be finally de departed from the Right of EX-gratia compensation grant in this case.

I hereby ready to accept the Election Official Ex-gratia for Rs.---------------- as decided by the state Government and therefore proffered the claim.

Signature ----------------------------

Name of Official ----------------------

or legal hire ------------------------

Recommendation

Certified that the information as advanced by the individual concerned is true therefore the payment of Rs. ---------------- is hereby recommended.

(Signature)

Collector

District Election Officer

Dist ----------------

Appendix - II

Rule- 4

Form of Medical Report

Note - This form should invariably be duly filled up by the medical Attendant of the claimant.

1.	**Name in full of the claimant** -------------	Age -------------
2.	**Reason of accident as per your knowledge**	
3.	A. After injury when the claimant was treated first. B. Did you still continuing the treatment of claimant.	
4.	**Are you personal doctor of the claimant if yes please quate the period from which claimant is known to you and which disease you have treated**	
5.	Did injuries are related to --------------- (A) Only due to Accident or (B) Related with disease or any other reason	(A) (B)
6.	**Any other remark**	

I hereby write that above mentioned person is victim or Accident and the or this report are true.

(Signature)

Name of Doctor

Address

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.